अत्यंत महत्वपूर्ण
विशेष पत्र वाहक द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, "सी" – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी. एस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(14)/~~ता.~~अता. प्र.15/चतुर्थ सत्र (चतुर्थ–भाग) 2023/दिविस/श.वि./4893-94 दिनांकः 14/12/2023

सेवा में,

1. उप सचिव (प्रश्न शाखा)
   दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
   पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः सातवीं दिल्ली विधानसभा के चतुर्थ सत्र का (चतुर्थ–भाग) 2023 अतारांकित / ~~तारांकित~~ प्र0 सं. 15 मान्नीय विधायक श्री अखिलेश पति त्रिपाठी दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में वर्णित विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

भवदीय

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

कृपया प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली (प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित) दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

मान्नीय विधायक का नाम : श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

दिनांक : 15.12.2023

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 15

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	मॉडल टाउन विधान सभा में दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी जमीनें हैं, कहां –कहां पर हैं और यह जो खाली जमीनें हैं वे किस–किस प्रयोग में हैं;	**दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि– दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)
ख	पिछले 10 सालों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली सरकार या एमसीडी को कितनी जमीनें बेची गयी हैं, वो किस किस मदों के लिये बेची गयी, उसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें;	
ग	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मॉडल टाउन विधान सभा के चौकी नंबर 4 पर हॉस्पिटल के लिये दिल्ली सरकार को 11350 स्कवेयर मीटर आवंटित किया गया था, इस जमीन पर दिल्ली सरकार को कब तक कब्जा दे दिया जायेगा;	
घ	दिल्ली विकास प्राधिकरण के माडल टाउन विधान सभा में कितनी मार्किटें हैं और उन मार्किटों की दुकानों एवं ऑफिसों को किन–किन को आवंटित किया गया है, अभी कितनी दुकान/आफिस खाली हैं, उन सबकी जानकारी उपलब्ध करायी जाये; और	
ड	दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों में किन–किन ठेकेदारों को सफाई एवं अन्य सभी कर्मचारियों का टेंडर दिया गया है, इन सब ठेकेदारों के एवं संविदा पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के नाम, पता, मोबाईल एवं पीएफएसआई के साथ उपलब्ध करायें एवं साथ ही बतायें कि किन–किन पार्कों में कौन–कौन से कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है, सभी की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराय?	

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

10/c

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023

सं. एफ.5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/सीएस/769 दिनांक : 2 अगस्त, 2018

Main letter in English language was already been seen by Hon'ble Min UD. May place in the concern file.

सेवा में,

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

10/8/18

DS-PC

विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के आपके पत्र सं. एफ 53 (यू.एस.क्यू.)/बजट सेशन-सैकंड-जून-2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफ.यू.एस.क्यू./बजट सेशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी-6983-43(यू.एस.क्यू.-80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फर्द डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

9/C

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि. प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव